राज्यपाल ने सगिरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (वज्ञिापन का प्रतषिध और व्यापार तथा वाणज्यि, प्रदाय और वतिरण का वनियिमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) वधियक पर कयि हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

19 जनवरी, 2022 को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सगिरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (वज्ञिापन का प्रतषिध और व्यापार तथा वाणज्यि, प्रदाय और वतिरण का वनियिमन) अधनियिम, 2003 में संशोधन हेतु प्रस्तुत वधियक पर हस्ताक्षर कयि हैं। अब इस वधियक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजा जाएगा।

प्रमुख बदिु

- इस अधनियिम की धारा 3, 4, 12, 13, 21 एवं 27 में संशोधन कयिा गया है। इसके अनुसार धारा 4 में संशोधन कर धारा 4-क और 4-ख जोड़ी गई है।
- धारा 4-क के अनुसार 'हुक्का बार पर रोक- इस अधनियिम में अन्तर्वषि्ट कसिी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, स्वयं या कसिी अन्य व्यक्ति की ओर से, कोई हुक्का बार नहीं खोलेगा या हुक्का बार नहीं चलाएगा या भोजनालय सहति कसिी भी स्थान पर ग्राहकों को हुक्का नहीं देगा।'
- धारा 4-ख के अनुसार 'हुक्का बार में हुक्के के माध्यम से धूम्रपान पर रोक- कोई भी व्यक्ति, कसिी भी सामुदायकि हुक्का बार में हुक्का या नरगलि (गड़गड़ा) के माध्यम से धूम्रपान नहीं करेगा।'
- धारा 13 में संशोधन कर नवीन धारा 13-क जोड़ी गई है। धारा 13-क के अनुसार 'हुक्का बार के मामले में ज़ब्त करने की शक्ति- यदि कोई पुलसि अधकिारी/आबकारी अधकिारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधकिृत हो, और जो उप-नरीिक्षक की श्रेणी से नम्नि का न हो, के पास यह वश्विास करने का कारण है कि धारा 4-क के प्रावधानों का उल्लंघन कयिा गया है या उनका उल्लंघन कयिा जा रहा है, वह हुक्का बार के वषिय या साधन के रूप में उपयोग की जाने वाली कसिी भी सामग्री या वस्तु को ज़ब्त कर सकेगा।'
- मूल अधनियिम की धारा 21 में संशोधन करते हुए नवीन धारा 21-क एवं 21-ख जोड़ी गई है। धारा 21-क के अनुसार 'हुक्का बार चलाने के लयि दंड- जो कोई, धारा 4-क के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह ऐसे कारावास, जो कि तीन वर्ष तक का हो सकेगा, कतिु जो एक वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना, जो कि पिचास हज़ार रुपए तक का हो सकेगा, कतिु जो दस हज़ार रुपए से कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा।'
- इसी प्रकार 21-ख के अनुसार हुक्का बार में हुक्का के माध्यम से धूम्रपान के लयि दंड- जो कोई, धारा 4-ख के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे ऐसे जुर्माने, जो कि पाँच हज़ार रुपए तक का हो सकेगा, कतिु जो एक हज़ार रुपए से कम नहीं होगा, से दंडति कयिा जाएगा।'
- धारा 27 में संशोधन करते हुए नवीन धारा 27-क जोड़ी गई है। धारा 27-क के अनुसार 'धारा 4-क के तहत अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना- इस अधनियिम में अंतर्वषि्ट कसिी बात के होते हुए भी, धारा 4-क के तहत कारति अपराध, संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।'

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-governor-signed-the-cigarettes-and-other-tobacco-products